

## देश-देशांतर: न्यायिक सेवा के लिये UPSC या NEET जैसी अखलि भारतीय परीक्षा

### संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

ऐसे में जब सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की न्युक्ति का मुद्दा सरकार और कॉलेजियम के बीच झूल रहा है, सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखलि भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service-AIJS) का गठन किया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो न्यायिक सुधारों की दशा में एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद पछिले 60 सालों से यह मुद्दा यूं ही लटकता आ रहा है।

- सरकार का मानना है कि इससे अपेक्षाकृत युवा न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में प्रोन्नतिका मौका मिल सकेगा।
- यह कोई पहली बार नहीं है जब सरकार इस दशा में आगे बढ़ने की सोच रही है। पूर्व में कई बार अखलि भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की सफारिश की गई, लेकिन कोई प्रगत नहीं हो सकी।
- कानून मंत्री रवशंकर प्रसाद भी हाल ही में कह चुके हैं कि अधीनस्थ अदालतों में युवा प्रतभाओं को मौका देने के लिये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होनी चाहिये।
- सरकार ने पछिले साल भी अखलि भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब 9 हाई कोर्टों ने इस प्रस्ताव का वरीध किया था, 8 अन्य ने प्रस्तावति ढाँचे में बदलाव की मांग की थी, जबकि केवल दो ने इस वचार का समर्थन किया था।

### मुद्दा आखरि है क्या?

वर्तमान में लगभग सभी सरकारी वभागों में अखलि भारतीय सेवाएँ अस्तित्व में हैं परंतु न्याय का क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें उच्च न्यायालय से नीचे स्तर की सभी अदालतों में न्युक्तियों राज्य शासन के द्वारा ही की जाती हैं।

### वभिनिन स्तरों पर हो चुकी है सफारिश

- अखलि भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का वचार नया नहीं है। वधि आयोग तीन बार--पहली, आठवीं और 116वीं रपिर्ट में अखलि भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सफारिश कर चुका है।
- इसके अलावा 1961, 1963 और 1965 के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अखलि भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का पक्ष लिया गया था, लेकिन यह मुद्दा अब तक सरि नहीं चढ़ सका है।
- वधि और न्याय से संबंधति संसदीय समति ने भी अखलि भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की न केवल सफारिश की थी, बल्कि वधि मंत्रालय को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का सुझाव भी दिया था।
- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग और राष्ट्रीय परामर्शदाता परिषद ने भी अखलि भारतीय सेवा के गठन को उचित माना।
- संवधान में भी इस बात का उल्लेख है। इसके अनुच्छेद-312 में यह प्रावधान है कि संसद वशिष बहुमत से प्रस्ताव पारति कर एक नई अखलि भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है।
- उपरोक्त अनुच्छेद के तहत इस सेवा की स्थापना करने के लिये 1977 में संवधान संशोधन किया गया था।
- इसके लिये आवश्यक वधियों को अधिनियमति कर संसद को समर्थ बनाने के लिये राज्यसभा द्वारा दो-तहिई बहुमत से पारति एक संकल्प अपेक्षति है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी 1991 और 1992 में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अखलि भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में 21 मार्च 2002 के अपने नरिणय में उच्चतर न्यायिक सेवा में भरती के बारे में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सफारिशों को स्वीकार कर लिया था। उसने अन्य बातों के अलावा वरिष्ठता व सीमति प्रतयोगी परीक्षा के आधार पर और योग्य अधविकताओं में से सविलि जज (सीनियर डविजिन) की भरती के लिये कोटा भी नरिधारति किया था तथा साथ ही उच्च न्यायालयों को यथासंभव शीघ्र उचित नयिम तैयार करने का भी नरिदेश दिया था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ी?

- इन सब के बावजूद इस प्रस्ताव पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण कुछ राज्यों और कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा किया गया वरिध है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार इस संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं ले पा रही।
- अखिल भारतीय सेवा के अभाव में उतनी नयुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, जतिने न्यायाधीशों की आवश्यकता है। जैसे 19,726 न्यायिक पद स्वीकृत हैं परंतु उनमें से 15,438 पद भरे हुए हैं शेष लगभग 4,000 पद अभी भी खाली हैं।

### अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से लाभ

- सबसे पहला लाभ तो यह है कि न्यायवर्तियों की नयुक्तियों में UPSC के समान नृषिपक्ष एजेंसी की भूमिका होगी। इससे न्यायिक सेवा में प्रतभिवान वर्धित स्नातक शामिल किये जा सकेंगे, जो साधारणतः न्यायिक सेवा में भरती न होकर सरकारी और नृजी कृषेत्र में अन्य ऐसे पदों की तलाश में रहते हैं, जहाँ उन्हें ज्यादा आर्थिक लाभ मिल सके।
- यदि केंद्रीय लोक सेवा आयोग से भरती करवाई जाएगी तो न्यायाधीशों को अन्य अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के समान सुवर्धिएँ प्राप्त होंगी। अभी स्थिति यह है कि सफल अधिवक्ता अपनी मोटी कमाई को छोड़कर न्यायापालिका में शामिल नहीं होना चाहते।
- इसके अलावा वर्धित राज्यों में नृमिन् श्रेणी की अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक नयुक्त और पदोन्नति में एकरूपता नहीं रहती है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालयों से लिये जाते हैं इसलिये वह एकरूपता और प्रतभिवान सर्वोच्च न्यायालय तक भी नहीं पहुँच पाती। यदि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होता है तो पूरी तरह से सक्षम व्यक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचेंगे।
- न्यायिक सेवा बनने से न्यायाधीशों की नयुक्तियों के संबंध में जो पक्षपात के आरोप आए दनि लगते हैं वे भी नहीं लगेंगे। न्यायिक निर्णयों की कृषमता में भी वर्धित होगा।
- इसके साथ ही चूंकि वर्धित केंद्रीय सेवाओं के समान वेतन, भत्ते और सेवाएँ न्यायिक सेवा में भी उपलब्ध होंगे, इसलिये अनेक प्रतभिवान व्यक्तियाँ न्यायिक सेवा में नयुक्त पाने के लिये प्रतभिवान गति में शामिल होंगे।
- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, उच्च न्यायालय के नीचे की अदालतों के न्यायाधीश अपने पूरे करियर में उसी राज्य में रहते हैं जहाँ उनकी नयुक्ति होती है। जब न्यायिक सेवा का चरतिर अखिल भारतीय हो जाएगा तो इन न्यायाधीशों को भी दूसरे राज्यों में सेवा करने का अवसर मिलेगा।

### राज्य सरकारों एवं संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा वरिध

- इस सेवा की स्थापना के वरिध का प्रमुख कारण भाषा से संबंधित है। चूंकि CrPC एवं CPC के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में लखित आदेशों के लिये भी स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।
- AIJS की स्थापना के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी अन्य राज्यों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिससे उस न्यायाधीश द्वारा दूसरे राज्य में (अगर उस राज्य की स्थानीय भाषा अलग है) कार्य करना मुश्किल हो जाएगा जो न्याय की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।
- इसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से राज्य न्यायिक सेवा अधिकारियों की प्रगति में बाधा पहुँचेगी।
- हालाँकि कुछ उच्च न्यायालय और राज्य सरकारें इसके पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे नयुक्तियों में उनकी भूमिका समित्त सकती है और वे अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
- इनका यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायापालिका के लिये अखिल भारतीय प्रतभिवान परीक्षा के माध्यम से न्यायाधीशों का चयन करना देश के संघीय ढाँचे के खिलाफ होगा।

### अभी क्या है व्यवस्था?

- संवर्धित के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 233 एवं 234 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों की सलाह से राज्य न्यायिक सेवा के सदस्यों के बारे में नृयिम और वनृयिम तैयार करती हैं।
- इसी प्रकार ज़िला/अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की भरती, नयुक्ति, स्थानांतरण और सेवा की अन्य शर्तें भी संबद्ध राज्य सरकारें तैयार करती हैं।
- कुछ राज्यों में चयन की प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोगों के ज़रिये और कुछ अन्य राज्यों में उच्च न्यायालयों के ज़रिये संचालित की जाती है।

### कॉमन परीक्षा भी है एक वकिलप

- देशभर में न्यायिक सेवाओं के लिये एक ही प्रतभिवान परीक्षा कराने का वचिर सरकार ने सामने रखा है।
- जिस तरह से IAS/IPS के चयन के लिये अखिल भारतीय स्तर पर प्रतभिवान परीक्षा होती है, उसी तरह से न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिये ऐसी परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव है।
- देश में UPSC द्वारा की जाने वाली भरती प्रक्रिया काफी पारदर्शी मानी जाती है। यदि इसी तरह पर जिला जजों की भरती की जाती है तो किसी को कोई आपत्त नहीं होनी चाहिये।
- ऐसी व्यवस्था से परीक्षा का पाठ्यक्रम तो एकसमान हो ही सकेगा, पेपर लीक होने या भाई-भतीजावाद की शकियतों पर भी लगाम लगेगी।

इस संबंध में कोई प्रक्रिया तो सामने नहीं आई है, पर यह माना जा सकता है कि फलिहाल राज्यों में अधीनस्थ न्यायिक सेवा व उच्च न्यायिक सेवा के लिये आयोजित की जा रही परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लहिये से ही ऐसा वचिर किया जा रहा है।

### केवल ज़िला जज के स्तर पर होंगी नयुक्तियाँ

42वें संवर्धित संशोधन के बाद अनुच्छेद 312 में किये गए प्रावधान के दायरे से ज़िला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक पदों को बाहर रखा गया है। अर्थात् अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से केवल ज़िला न्यायाधीशों के पद के लिये ही अभ्यर्थियों का चयन होगा और शेष पदों के लिये पहले की तरह ही परीक्षाओं का आयोजन करके उनकी नयुक्तियाँ होती रहेंगी।

- उल्लेखनीय है कि देशभर की ज़िला अदालतों में इस समय लगभग पौने तीन करोड़ मुकदमे लंबित हैं। इन मुकदमों के तेज़ी से नपिटारे के लिये इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है।
- सरकार को लगता है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से देश में सक्षम न्यायाधीशों का एक पूल तैयार किया जा सकता है जिनकी सेवाएँ विभिन्न राज्यों में ली जा सकती हैं।
- अधीनस्थ न्यायपालिका में इस समय न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के 21,320 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से करीब 25 प्रतिशत रिक्त हैं।

## नीट (NEET) जैसे मॉडल का प्रस्ताव

- इस मुद्दे पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिये नेशनल एलीजबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट (NEET) के लिये अपनाए जाने वाले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है।
- सरकार ने न्यायालय को विभिन्न मॉडलों का सुझाव दिया है ताकि अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों को तेज़ी से भरा जा सके।
- नीट मॉडल के अलावा कानून मंत्रालय ने यह प्रस्ताव भी किया है कि अभ्यर्थियों के चयन के लिये प्रस्तावित भर्ती निकाय सुप्रीम कोर्ट की नगरानी में एक केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित कर सकता है।
- सरकार ने यह प्रस्ताव भी दिया कि सिंगल लोक सेवा आयोग (UPSC) से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिये परीक्षा आयोजित करने को कहा जा सकता है, जो ऐसी विशिष्ट परीक्षा के आयोजन के लिये उच्च न्यायालयों से परामर्श कर अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव कर सकता है।
- यह भी सुझाव दिया गया कि नचिली अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिये इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग एंड प्रसोनल सलेक्शन (IBPS) की कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिये विभिन्न हाई कोर्ट और राज्य सेवा आयोग परीक्षाओं का आयोजन करते हैं।

## द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन

न्यायिक सुधार का एक महत्त्वपूर्ण पहलू अदालत की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रियाओं को पुनः संरचित करना है ताकि मामलों का शीघ्र नपिटारा किया जा सके। इसी क्रम में पछिले वर्ष नवंबर में केंद्र सरकार ने अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस (सेवानिवृत्त) जे.पी. वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में किया था, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के पूर्व जज आर. बसंत सदस्य हैं।

- यह आयोग 18 माह की अवधि के भीतर राज्य सरकारों को अपनी सफ़ािशि सौंप देगा।
- यह आयोग राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों के वेतन व सेवा की दशाओं के वर्तमान ढाँचे की समीक्षा करेगा।
- इस आयोग का उद्देश्य उन सदिधांतों का प्रतपादन करना है जो देश में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान व अन्य परलिबंधियों को प्रशासित करने का कम करेंगे।
- यह आयोग वेतन के अलावा कार्यप्रणाली के तौर-तरीकों की जाँच के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों को मलि रहे विभिन्न भत्तों तथा गैर-नकदी लाभों की समीक्षा करेगा और इनको युक्तसिंगत बनाने व सरलीकरण के लिये भी सुझाव देगा।
- यह आयोग इस कार्य के लिये स्वयं ही प्रक्रिया तथा जरूरी तौर-तरीके तैयार करेगा।
- इस आयोग का उद्देश्य देश भर में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान और सेवा की दशाओं को एकसमान बनाना भी है।
- आयोग की सफ़ािशि न्याय प्रशासन में दक्षता लाने और न्यायपालिका आदि में सुधार लाने तथा पूर्ववर्ती सफ़ािशि में वसिंगतियों को समाप्त करने में मददगार होंगी।

(टीम टूट इनपुट)

**नषिकर्ष:** संविधान के अनुच्छेद 312 में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नयुक्तके लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का प्रावधान किये जाने के बावजूद लगभग 60 वर्षों से यह मसला अधर में लटका है। सुप्रीम कोर्ट, वधिआयोग और केंद्र सरकार हालाँकि 1960 से ही अधीनस्थ न्यायपालिका के लिये भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में रहे हैं। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलनों में भी इस बारे में कई बार प्रस्ताव पारित किये गए, लेकिन गंभीर मतभेदों के कारण यह मूरत रूप नहीं ले पा रहा है। केंद्र सरकार एक बार फरि इस दशिा में प्रयास कर रही है।

देश की ज़िला अदालतों में अभी जो स्थिति है, उसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अवश्य ही न्यायपालिका को अधिक जवाबदेह, दक्ष, पेशेवर एवं पारदर्शी बनाकर न्याय की गुणवत्ता एवं पहुँच में वृद्धि करेगी। नवनयुक्त न्यायाधीशों को स्थानीय भाषा सखिाकर अथवा अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों का केवल राज्य के अंदर ही स्थानांतरण करने जैसे प्रावधानों से राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सकता है ताकि राज्य एवं उच्च न्यायालय इस सेवा की स्थापना को सहर्ष स्वीकार करें।

देश की शीर्ष अदालत का भी मानना है कि यदि अधीनस्थ न्यायपालिका में नयुक्तियों के लिये परीक्षा आयोजित करने की एक केंद्रीकृत व्यवस्था होगी तो इससे कानून की बेहतर जानकारी रखने वाले प्रतभाशाली और योग्य व्यक्तियों का चयन संभव हो सकेगा। इससे न्यायपालिका की छर्वा में सुधार होगा।

